न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
दिनेशसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी जोगापुरा तह. शिवगंज जिला सिरोही	**बनाम**	1.कुयाराम पुत्र तगाराम 2.कालीया पुत्र अमरा के कायम मुकाम 2/1–मूलीया पुत्र अमरा मीणा नि0 जोगापुरा 3.मगना पुत्र गजा 4.मूलीया पुत्र अमरा 5.वीसाराम पुत्र मोडा जातियान मीणा निवासी देवनगर तह0 शिवगंज 6.तहसीलदार, शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा		**विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह राव** अप्रार्थी सं0 1,3 ता 5

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 59/2023
दिनांक 14.02.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा तहसील शिवगंज के खसरा नं0 50/1 रकबा 1.5378 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खसरान के संयुक्त राजस्व आराजी से लगता हुआ गांव से गाजपा ढाणी तक जाने वाला खसरा नं0 52 रकबा 5.6085 हैक्टयर की संयुक्त स्वामित्व की राजस्व आराजी आयी हुई स्थित है। तथा अप्रार्थीगण के उपरोक्त खसरान् की राजस्व भूमि से लगता हुआ गांव से गाजपा ढाणी तक जाने वाला खसरा नं0 60/1 मौजा जोगापुरा को ग्रेवल निर्मित आम रास्ता आया हुआ है जहां से अप्रार्थीगण के खेत के किनारे तक प्रार्थी उक्त आम रास्ते से सुगमता से आ जा रहे है। जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपनी राजस्व आराजी खसरा नं0 50/1 में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नं. 52 की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की माठ के किनारे किनारे अपने पूर्वजों के समय से अपनी संयुक्त राजस्व आराजी खसरा नं. 50/1 में कृषि कार्य व पशुओं के आने जाने के लिये उपयोग में ले रहा है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड/जमाबंदी मौजा जोगापुरा में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण रोकटोक रहे है। जिससे प्रार्थी का कृषि कार्य करना असंभव हो गया है। प्रार्थी के खेत पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा 15 फिट चौडे रास्ते की मांग की गई है। उक्त स्थान पर प्रार्थी का खेत लघुतम दुरी पर स्थित हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 401 दिनाक 02.07.2024 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 22.12.2024 को स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज ने रास्ते का प्रस्ताव पेश किया। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 की और से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह राव ने वकालतनामा पेश कर दिनांक 07.06.2024 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी सं0 2 कालिया की मृत्यु होने से उसका एक मात्र वारिसान मूलीया को रेकर्ड पर लेने का पेश किया गया। जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान करने से कालिया के वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया। व उसी दिन संशोधित अनवान पेश किया। तहसीलदार शि[illegible] प्रस्तुत प्रस्ताव, मौका रिपोर्ट पर दिनांक 07.02.2025 को उभय वकील [illegible] सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:59 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं अप्रार्थी संख्यां 6 के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास [illegible]मी खातेदारी भूमि में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर स्थित है, रास्ते की अत्यंत आवश्यकता सिद्ध की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

.... शेष पेज संख्या दो पर

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

प्रकरण सं0 59/2023
दिनेश कुमार बनाम कुईयाराम वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा जोगापुरा तहसील शिवगंज के खसरा नं0 50/1 रकबा 1.5378 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा जोगापुरा के खसरा नं0 52 रकबा 5.6089 हैक्टयर भूमि में से पंहुचने हेतु 4.572 मीटर चौडा एवं 138 मीटर लम्बाई कुल स्वीकृत रास्ता 631 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 279000/–रूपये प्रति हेक्टयर होने से राशि 17605/–रूपये होती है जिसकी **दुगनी राशि 35210/– (पैंतीस हजार दो सौ दस) रूपये** का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
सहायक कलक्टर
शिवगंज

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 89
दिनांक 14.02.2025

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:59 IST
Reason: SelfAttested